राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य सरकार के निर्देश पर हुई कार्यवाही

रसद विभाग ने प्रदेश में 16 अवैध बॉयो डीजल पम्पों को किया सीज़

अवैध बॉयो डीजल विक्रय करने वालों के विरूद्ध विभाग करेगा सख्त कार्यवाही

जयपुर, 05 जनवरी। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश के चूरू एवं चित्तौड़गढ जिलों में अवैध रूप से बॉयो डीजल का विक्रय करने पर रसद विभाग की टीम ने विगत दिनों बड़ी कार्यवाही करते हुए 16 अवैध बॉयो डीजल पंपों को सीज़ कर दिया है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि चित्तौडगढ़ जिले में अवैध बॉयो डीजल का बिक्री करने वाले आउटलेट्स के विरूद्ध निरंतर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को बेंगू तहसील के काटूंदा मोड स्थित अवैध बॉयो डीजल पंप ब्लू सन हरिओम बॉयो डीजल पर कार्यवाही की गई। टीम को कार्यवाही के दौरान मौके पर बॉयो डीजल संग्रहण, विक्रय एवं पंजीयन संबंधी कोई दस्तावेज नहीं पाया गया। जिस पर टीम द्वारा पंप की डिस्पेसंग यूनिट तथा भूमिगत टैंक को सील चपड़ी से सील कर दिया गया।

उन्होंने बताया कि इसी तरह चित्तौड़गढ़–कोटा हाईवे पर बिछौर गांव में शिवम भोजनालय में अवैध बॉयो डीजल पंप संचालित पाया गया, जिस पर पंप संचालनकर्ता गोपाल लखारा द्वारा बॉयो डीजल संग्रहण–विक्रय एवं पंजीयन संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। जिस पर टीम द्वारा नोजल व टैंक से जुड़े पाइप को एवं भूमिगत सिरे पर लगे पाइप को सील चपड़ी से सील कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि विगत दिनों विभाग द्वारा चित्तौड़गढ जिले में 13 अवैध बॉयो–डीजल पंपों के विरूद्ध कार्यवाही कर सील किये जा चुके है।

शासन सचिव ने बताया कि विगत दिनों चूरू जिले के गांव पूनसीसर में रसद विभाग एवं पुलिस विभाग की टीम ने घर में बने गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध बॉयो डीजल एवं बेस ऑयल को जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि कार्यवाही के दौरान पूनसीसर गांव में भंवरलाल ज्याणी के घर में गोदाम बना हुआ था, जहां 26 ड्रम (5160 लीटर) डीजल तथा 13 ड्रम (2600 लीटर) बेस ऑयल के पाये गये, जिस पर विभागीय टीम द्वारा नमूना लेकर सीज़ कर दिया गया।

————000————